





# GUIDLINES MP SERVICE RULE



S

E

R

V

C

E

R

U

L

E

GOVT. M. H. COLLEGE OF HOME SCIENCE AND SCIENCE FOR WOMEN, JABALPUR



# मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

# मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री

(तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय)

सेवा भर्ती नियम, 1965

भोपाल शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2004 (Published in Part IV of the "Madhya Pradesh Rajpatra", Dated 17th March 1967)

# मध्यप्रदेश शासन

# राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 1966

# अराजपत्रित सेवाओं के लिए नियम

क्र. 6164-6983-सात-स्था.-66.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल इसके द्वारा, मध्यप्रदेश [अनुसूची दो के खाने (2) के अनुसार] सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 2. **संक्ष्ति नाम तथा प्रारम्भ.**—ये नियम मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1965 कहलाएंगे.
  - ये नियम, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.
  - 3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्ष्ति न हो,—
  - (क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से तात्पर्य सेवा के संबंध में विभागाध्यक्ष से है;
  - (ख) ''शासन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;
  - (ग) ''राज्यपाल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;
  - (घ) ''अनुसूची'' से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;
  - (ङ) ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति'' का वहीं अर्थ होगा जो उनके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) और (25) में दिया गया है;
  - (च) ''सेवा'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (अलिपिकवर्गीय) सेवा से है;
  - (छ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.
- 4. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.
  - 5. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
  - (1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूचियों में निर्दिष्ट पद मूलत: धारण कर रहे हों:
  - (2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

- (3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये जाएं.
- 6. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि:**—सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान और सेवा में शामिल पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची–एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी :

परन्तु यह कि शासन सेवा में शामिल पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा.

- 7. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
  - (क) चयन कर सीधी भर्ती द्वारा;
  - (ख) सेवा के मूल पद धारण करने वाले सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या कर्त्तव्य पदों (जैसा कि अनुसूची-एक में उल्लिखित है) की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भर्ती की किसी विशेष अविध के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन के परामर्श से अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा निश्चित की जाएगी.
- (4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो तो अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण, शासन से परामर्श करने के बाद सेवा में भर्ती करने संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जाएं.
- 8. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियां अधीक्क, शासकीय मुद्रण द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 7 में उल्लिखित भर्ती के किसी भी तरीके से चयन करने के अतिरिक्त अन्य तरीके से नहीं की जाएगी.
- 9. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें.—चयन किये जाने के लिये पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—
  - (1) आयु.—(क) उसकी आयु चयन के प्रारम्भ होने की तारीख के बाद की पहली जनवरी को अनुसूची-तीन के खाने (3) में दर्शाए गए अनुसार होनी चाहिए और अनुसूची-तीन के खाने (4) में दर्शाए अनुसार नहीं होनी चाहिए;
  - (ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्षों की छूट दी जाएगी;

- (ग) उन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों नीचे उल्लिखित सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दी जाएगी:—
  - (एक) शासन के स्थायी कर्मचारी की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  - (दो) शासन के अस्थायी कर्मचारी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  - उपर्युक्त रियायत कार्यभारित कर्मचारियों और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों और परियोजना, कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को भी दी जा सकेगी.
  - (तीन) जो उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अविध, भले ही वह अविध एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.
  - स्पष्टीकरण.—''छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी'' शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छ: माह तक निरन्तर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.
  - (चार) जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्ष सेवा की अविध कम करने की अनुमित दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.
  - (पांच) वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्र. 3345-4005-सोलह तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहिचान-प्रमाण-पत्र हों, अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
  - स्पष्टीकरण.—''भूतपूर्व सैनिक'' शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अविध तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी, किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट की संख्या के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारी की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :—
    - (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर (ख) भर्ती संबंधी शर्ते पूरी हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो;
- (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (4) ऐसे अधिकारी, (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पाविध सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर, छ: माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;
- (6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्ष्म सैनिक बनने योग्य नहीं रहे:
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सा मण्डल की सिफारिशों के अनुसार सेवा से अलग कर दिया गया हो.
- टीप.—उपर्युक्त कंडिका 9 (ग) (एक) और (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को परीक्ष में बैठने की अनुमित दी गई हो वे यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद या तो परीक्ष होने के पहले या बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

अन्य किसी भी स्थिति में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी.

विभागीय उम्मीदवारों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए.

- (2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—उसके पास सेवा के लिये निर्धारित ऐसी शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं होनी चाहिए जो कि अनुसूची-तीन के खाने (6) में दर्शाई गई हैं, परन्तु—
  - (क) आपवादिक मामलों में अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण की सिफारिश पर शासन ऐसे उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकेगा, जिसके पास भले ही इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो शासन की राय में उम्मीदवार के चयन के संबंध में विचार करने हेतु उचित मानी गई हों; और
  - (ख) ऐसे उम्मीदवारों के मामलों पर भी जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हों किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, शासन के विवेकानुसार चयन हेतु विचार किया जा सकेगा.
- (3) फीस.—उसे शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना होगा.

- 10. अनर्हता.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी जरिए से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा उम्मीदवार के चयन के लिये अनर्हकारी माना जाएगा.
- 11. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण का निर्णय अन्तिम होगा.—चयन के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में अधीक्ष्क, शासकीय मद्रण का निर्णय अन्तिम होगा और किसी भी ऐसे उम्मीदवार को, जिसे अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र न दिया गया हो, परीक्ष में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी और अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा की जाने वाली समक्ष भेंट के लिये नहीं बुलाया जाएगा.
- 12. **चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भर्ती हेतु चयन ऐसी अन्तराविधयों के बाद किया जाएगा जैसा कि अधीक्क, शासकीय मुद्रण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए.
- (2) सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा उम्मीदवारों की समक्ष भेंट के बाद ही किया जाएगा. पदों पर नियुक्ति अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा उनके लिए अपेक्ष्ति न्यूनतम कार्य मात्रा के अनुसार एक व्यवहारिक परीक्ष (प्रेक्टिकल टेस्ट) लेकर की जाएगी.
- (3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये रिक्त रखे जाएंगे.
- (4) इस प्रकार रिक्ति रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के संबंध में नियुक्ति के लिये उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम नियम 15 में निर्दिष्ट सूची में दिये गये हों और अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनके सापेक्ष स्थान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.
- (5) ऐसे उम्मीदवारों को, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों और उन्हें अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा प्रशासन की दक्ष्ता को बनाए रखने की दृष्टि से सेवा में नियुक्त करने के लिये योग्य ठहराया गया हो उपनियम (3) के अधीन, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्त रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.
- (6) यदि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये रिक्त सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिये उक्त जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न मिल सकें, तो शेष रिक्त स्थान अन्य उम्मीदवारों में से भरे जाएंगे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान अगले चयन के लिये रिक्त रखे जायेंगे:

परन्तु यदि आगामी चयन में भी अतिरिक्त रिक्त स्थानों सिंहत सभी रिक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार न मिल सकें, तो अतिरिक्त रिक्त स्थान या उनमें से ऐसे रिक्त स्थान, जो भरे न गए हों, समाप्त हो जाएंगे.

13. **चुने गए उम्मीदवारों की सूची.**—इन नियमों और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, सन् 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर उम्मीदवारों की नियुक्त के मामले में सूची में दिये गये नामों के क्रम से विचार किया जाएगा.

उम्मीदवार का नाम सूची में शामिल किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण का ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस से समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

- 14. **पदोन्नित द्वारा नियुक्ति.**—(1) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नित के लिये प्रारंभिक चयन करने हेतु एक सिमित गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.
  - (2) सिमति की बैठक ऐसी अन्तराविधयों में होगी जो साधारणत: एक वर्ष से अधिक की न हो.
- 15. **पदोन्नति/स्थानापन्न के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—सिमिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को, अनुसूची-चार के खाने (2) में उल्लिखित पदों पर या ऐसे किसी पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, उतने वर्ष की सेवा (चाहे अस्थायी या मूल रूप से) पूरी कर ली हो, जितनी अनुसूची-तीन के खाने (5) में दर्शायी गई हो.
- 16. **उपयुक्त पदाधिकारियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो, और जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नित/ स्थानापन्न के लिये उपयुक्त समझती हो. यह सूची एक वर्ष तक होने वाले सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त होनी चाहिए.
- (2) ऐसी सूची में नाम शामिल करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित ध्यान देते हुए, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.
- (3) सूची में शामिल किये गये व्यक्तियों के नाम सेवा में विरिष्ठता क्रम से [अनुसूची-चार के खाने (2) में दिये अनुसार] लिखें जाएंगे. परन्तु किसी ऐसे किनष्ठ व्यक्ति को, जो सिमिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे विरिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.
  - (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्ष्ण किया जाएगा.
- (5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्ष्ण के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाए, तो सिमिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों का लेखबद्ध करेगी.
- 17. नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची की एक प्रति अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण द्वारा शासन को सूचनार्थ अग्रेषित की जाएगी.
- 18. (1) इस प्रकार सिमिति द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सूची वह चयन सूची होगी जिससे सेवा के सदस्यों [जैसा कि अनुसूची-चार के खाने (2) में दर्शाया गया है] की सेवा में, पदोन्नित [जैसा कि अनुसूची-चार के खाने (3) में दर्शाया गया है] की जाएगी.
- (2) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रभावशील रहेगी जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्ष्ण न किया जाए :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसका नाम चयन सूची में सिम्मिलित हो, कर्त्तव्यों के पालन में गंभीर उपेक्ष होने की स्थिति में अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनरावलोकन किया जा सकेगा और यदि सिमिति उचित समझे तो वह ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से निकाल सकेगी.

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में शामिल किये गये व्यक्तियों को सेवा के संवर्ग के अन्तर्गत पदों पर उसी क्रम से नियुक्त किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे पदाधिकारियों के नाम चयन सूची में दिये गये हों :

परन्तु यदि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण जरूरी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में शामिल न हो या जिनका नाम चयन सूची में दिये गये क्रम में अगले स्थान पर न हो, सेवा में उस स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा जब अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण का इस बात से समाधान हो जाए कि उक्त स्थान तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है।

- (2) जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में सिम्मिलित हो, साधारणत: उस व्यक्ति को सेवा में नियुक्त करने के पहले सिमिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल करने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अविध में उसके कार्य के स्तर में कोई ऐसी गिरावट न आई हो जो सिमिति की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के योग्य न रह गया हो.
- 20. **परिवीक्ष.**—सेवा में सीधे भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अविध के लिये परिवीक्ष पर नियुक्त किया जाएगा. अधीक्ष्क, शासकीय मुद्रण पर्याप्त कारणों से परिवीक्ष की अविध अधिक से अधिक और एक वर्ष तक बढा सकता है.
- 21. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.
- 22. **छूट.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिस पर ये नियम लागू होते हैं, शासन की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसे न्याय और उचित प्रतीत होती हो :

परन्तु मामलों पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबन्धित रीति की अपेश्व उसके लिये कम अनुकृल हो.

23. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के सभी तत्स्थानी नियम, जो इनके प्रारंभ होने के ठीक पहिले लागू हो इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

# अनुसूची-एक

# (नियम 6 देखिए)

<u>क्र</u> मांक	सेवा में सिम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य परीक्ष्क	2	अलिपिक वर्गीय	₹. 240-12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -340
2.	ओवरसियर	14	-तदैव-	रु. 190-6-220-10-240-240-द.रो
				12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -315
3.	सीनियर सेक्शन होल्डर	6	-तदैव-	₹. 160-6-190-10-240
4.	सेक्शन होल्डर	19	-तदैव-	रु. 140-5-160-6-190-द.रो6-220
5.	सहायक सेक्शन होल्डर	26	-तदैव-	₹. 120-4-140-5-160
6.	वरिष्ठ वाचक	21	-तदैव-	रु. 140-5-160-6-190-द.रोय-6-220
7.	कनिष्ठ वाचक	27	-तदैव-	₹. 120-4-140-5-160
8.	पुनरीक्ष्क	10	-तदैव-	₹. 120-4-140-5-160
9.	कापी होल्डर	48	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
10.	मिस्त्री (मेकेनिक)	2	-तदैव-	₹. 160-6-190-10-240
11.	मोनो मिस्त्री	2	-तदैव-	₹. 160-6-190-10-240
12.	सहायक मोनो मिस्त्री	2	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
13.	सहायक लाइनो मिस्त्री	1	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
14.	लाइनो टाइप मिस्त्री	1	-तदैव-	₹. 160-6-190-10-240
15.	सहायक मिस्त्री	2	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
16.	मिस्त्री एवं बिजली मिस्त्री	2	-तदैव-	रु. 120-120-4-140-5-160-द.रो
				6-190
17.	बिजली मिस्त्री	2	-तदैव-	रु. 120-120-4-140-5-160-द.रो
				6-190
18.	सहायक बिजली मिस्त्री	2	-तदैव-	रु. 100−4−140
19.	मोनो चालक	31	-तदैव-	₹. 160-6-190-10-240
20.	लाइनो चालक	16	-तदैव-	₹. 160-6-190-10-240

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	कास्टर अटेन्डेन्ट	37	अलिपिक वर्गीय	₹. 70-1-75-2-95
22.	सीनियर कम्पोजीटर	65	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
23.	जूनियर कम्पोजीटर	158	-तदैव-	₹. 70-1-75-2-95
24.	डिस्ट्रीब्यूटर	44	-तदैव-	₹. 65-1-75-2-95
25.	सीनियर इम्पोजीटर	5	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
26.	जूनियर इम्पोजीटर	8	-तदैव-	₹. 70-1-75-2-95
27.	सीनियर मशीन मैन	98	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
28.	जूनियर मशीन मैन	127	-तदैव-	रु. 70-1-75-2-95
29.	रोटरी मशीन मैन	1	-तदैव-	रु. 120-120-4-140-5-160-द.रो
				6-190
30.	सहायक रोटरी मशीन मैन	1	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
31.	रोटरी कास्टर	1	-तदैव-	रु. 70−1−75−2−95
32.	रूटर	1	-तदैव-	रु. 70−1−75−2−95
33.	सीनियर मशीन मैन (लिथो)	1	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
34.	जूनियर मशीन मैन (लिथो)	3	-तदैव-	रु. 70−1−75−2−95
35.	कैमरा मैन	1	-तदैव-	रु. 140-5-160-6-190-द.रो6-220
36.	मानचित्रकार (ड्राफ्ट्स मैन)	3	-तदैव-	₹. 130-5-160-6-190
37.	अनुरेखक (ट्रेसर)	4	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
38.	ईचर	1	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
39.	धातु मुद्रक (मेटल प्रिंटर)	1	-तदैव-	रु. 70−1−75−2−95
40.	रोटा प्रिंट चालक	2	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
41.	वरिष्ठ जिल्दसाज	55	-तदैव-	रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
42.	कनिष्ठ जिल्दसाज	108	-तदैव-	रु. 70−1−75−2−95
43.	ढलाई सहायक	23	-तदैव-	₹. 70-1-75-2-95
44.	बढ़ई	3	-तदैव-	₹. 70-1-75-2-95
45.	ड्राइवर	4	-तदैव-	₹. 85-2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -90-3-120

# अनुसूची-दो

(नियम ७ देखिए)

	विभाग का नाम-	-शासकीय	मुद्रण तथा लेखन	ı–सामग्र <del>ी</del>
क्रमांक	सेवा में सिम्मलित	पदों की		वाले कर्तव्य पदों की
	पद का नाम	संख्या		या का प्रतिशत
			सीधी भर्ती	सेवा के मूल पद धारण
			द्वारा	करने वाले सदस्यों
( - )	(-)	(-)	(चयन द्वारा)	की पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	श्रेणी तीन (अलिपिक वर्गीय)			
	मुद्रण तथा लेखन सामग्री			_
			प्रतिशत	प्रतिशत
1.	मुख्य परीक्ष्क	2		100
2.	ओवरसियर	14	50	50
3.	सीनियर सेक्शन होल्डर	6		100
4.	सेक्शन होल्डर	19	25	75
5.	सहायक सेक्शन होल्डर	26	25	75
6.	वरिष्ठ वाचक	21		100
7.	कनिष्ठ वाचक	27	25	75
8.	पुनरी <b>क्ष्</b> क	10	25	75
9.	कापी होल्डर	48	50	50
10.	मिस्त्री	2	50	50
11.	मोनो मिस्त्री	2	50	50
12.	सहायक मोनो मिस्त्री	2		100
13.	सहायक लाइनो मिस्त्री	1		100
14.	लाइनो टाइप मिस्त्री	1		100
15.	सहायक मिस्त्री	2		100
16.	मिस्त्री एवं बिजली मिस्त्री	2	50	50
17.	बिजली मिस्त्री	2	50	50
18.	सहायक बिजली मिस्त्री	2	50	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	मोनो चालक	31	75	25
20.	लाइनो चालक	16	75	25
21.	कास्टर अटेन्डेन्ट	37	50	50
22.	सीनियर कम्पोजीटर	65		100
23.	जूनियर कम्पोजीटर	158	25	75
24.	डिस्ट्रीब्यूटर	44	25	75
25.	सीनियर इम्पोजीटर	5		100
26.	जूनियर इम्पोजीटर	8	25	75
27.	वरिष्ठ मशीन मैन	98		100
28.	कनिष्ठ मशीन मैन	127	25	75
29.	रोटरी मशीन मैन	1		100
30.	सहायक रोटरी मशीन मैन	1		100
31.	रोटरी कास्टर	1		100
32.	रूटर	1		100
33.	सीनियर मशीन मैन (लिथो मर्श	ोन) 1		100
34.	जूनियर मशीन मैन (लिथो मशी	न) 3	25	75
35.	कैमरा मैन	1		100
36.	मानचित्रकार (ड्राफ्ट्स मैन)	3	50	50
37.	अनुरेखक (ट्रेसर)	4	100	
38.	ईचर	1		100
39.	धातु मुद्रक (मेटल प्रिंटर)	1		100
40.	रोटा प्रिंट चालक	2		100
41.	वरिष्ठ जिल्दसाज	55		100
42.	कनिष्ठ जिल्दसाज	108	25	75
43.	ढलाई सहायक	23	25	75
44.	बढ़ई	3	100	
45.	ड्राइवर	4	100	

# अनुसूची-तीन

# (नियम ९ देखिए) विभाग का नाम—शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग श्रेणी तीन—अलिपिक वर्गीय

केफियत		
अहंताएं	(एक) स्नातक होना चाहिए. (दो) कापी फिटिंग, पाण्डुलिपि सम्पादन, विभिन्न प्रकार के फेसेज तथा आकार आदि की जानकारी होनी चाहिए. ले-आउट तैयार करना और प्रदर्शन तथा विन्यास के सिद्धानों का ज्ञान होना चाहिए. (तीन) प्रूफ वाचन का 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.	(एक) उच्चतर माध्यमिक परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) किसी भी मुद्रण संस्था से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए तथा किसी बड़े मुद्रणालय में पर्यवेक्ष स्वरूप का तीन
भर्ती का तरीका	ये पद जिन वरिष्ठ वाचकों ने विभाग में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, उनका चयन कर पदोन्निति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें वे खाना क्रमांक (6) में दी हुई अहंताएं रखते हों. पदोन्निति—100 प्रतिशत.	जो ऐसे सीनियर सेक्शन होल्डर/ सेक्शन होल्डर/लाइनो तथा मोनो चालकों, जो उस पद पर कम से कम 5 वर्ष सेवा कर चुके हों की पदोन्नति द्वारा
अधिकतम आयु	<b>:</b>	30 वर्ष
न्यूनतम आयु	:	22 a <sup>d</sup>
पद का नाम और वेतनमान	मुख्य परीक्ष्क रु. 240-12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -340	ओवरसियर ह. 190-6-220-10-240- 240-द.रो12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -315
क्रमांक	<del></del>	%

	(3) (4)	(५)	त्र) वर्षे का अमधव होना नाहिए या किसी
		भर जाएग. बशत कि व खाना (6) (दो) में दी हुई अहंताएं रखते हों. जो सीनियर सेक्शन	वष का अनुभव हाना चाहिए या किसा आधुनिक मुद्रणालय में पर्यवेक्के स्वरूप का ६ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिंग
		हाएडर मुहण न लायस्तरायार हों उनके लिये दो वर्ष का अनुभव पर्यात्त होगा. पदोन्नित	टना जाहर. (तीन) मुद्रणालय की सभी शाखाओं की, जैसे हाथ कम्पोजिंग, मशीन कम्पोजिंग
		वरिष्ठतायुक्त योग्यता के आधार पर की जाएगी. पदोन्नति—50 प्रतिशत. सीधी भर्तों—50 प्रतिशत.	छपाई तथा जिल्दसाजी की जानकारी होनी चाहिए, आफसेट की जानकारी अतिरिक्त योग्यता होगी.
•	:	जिन मोनो/लाइनो चालकों ने उस पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	
20	20 वर्ष 28 वर्ष	जिन सहायक सेक्शन होल्डरों को उस पद पर काम करने का	(एक) उच्नतर माध्यमिक परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए.
		कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. यदि किसी सहायक सेक्शन होल्डर के पास मुद्रण प्रौद्योगिकी का प्रमाण-पत्र हो तो उस कार्य का दो वर्ष का	(दो) किसी भी मुद्रण संस्था में मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी मुद्रणालय में पर्यवेश्के स्वरूप का दो वर्ष का अनुभव हो या किसी बड़े मुद्रणालय में पर्यवेश्के स्वरूप का चार वर्ष का अनुभव हो.

(7)			
(9)	हाथ तथा मशीन कम्मोजिंग, छपाई तथा जिल्दसाजी का ज्ञान होना चाहिए.	(एक) उच्नतर माध्यमिक परीश्व या समकश्च परीश्व उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) किसी भी मुद्रण संस्था में मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी बड़े मुद्रणालय में पर्यवेश्व स्वरूप का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. (तीन) विशिष्ट शाखा के कार्य की जानकारी आवश्यक है.	(एक) इण्टरमीजियेट परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) हिन्दी का भी ज्ञान होना चाहिए. (तीन) कापी फिटिंग, टाइप फेसेज तथा पुस्तकविन्यास से परिचित होना चाहिए. (चार) प्रूफ वाचक के कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.
(5)	विरिष्ठ वाचकों के पास खाने (6) में दी गई योग्यताएं हों उनके मामलों पर भी विचार किया जा सकता है. पदोन्नति—75 प्रतिशत. सीधी भर्ती—25 प्रतिशत.	रिक्त स्थान रु. 90-140 वेतनमान या उससे अधिक वेतनमान वाले कर्मचारियों जिन्हें संबंधित अनुषय हो और 7 वर्ष का अनुभव हो और जिन्होंने 8वीं कश्च तक शिश्च प्राप्त की हो की पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्निति—75 प्रतिशत.	कनिष्ठ वाचक तथा पुनरीक्ष्कों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—100 प्रतिशत.
(4)		25 ਕਥੇ	:
(3)		20 वर्ष वर्ष	÷
(2)		सहायक सेक्शन होल्डर रु. 120-4-140-5-160	वरिष्ठ वाचक रु. 140–5–160–190–द्.रो6–220

ķ

(7)	ारीक्ष उत्तीर्ण पूर्ण जानकारी और अंग्रेजी योग्य होना आकारों की		होना चाहिए दोनों का ही	क्ष या समकक्ष् रेप. मेकेनिकल त हो या प्रेस
(9)	(एक) उच्चतर माध्यमिक परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) पूफ वाचन के कार्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही पूफ पढ़ने योग्य होना चाहिए. (तीन) टाइप फेसेज तथा आकारों की जानकारी होना चाहिए. (चार) पूफ वाचक के पद पर 3 वर्ष का	डपर्युक्त के अनुसार.	उच्तर माध्यमिक परीश्च उत्तीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों का ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए.	(एक) उच्नतर माध्यमिक परीक्ष या समकक्ष् परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) किसी मान्य संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरी में पत्रोपाधि प्राप्त हो या प्रेस मिस्त्री के रूप में 3 वर्ष का व्यावहारिक
(5)	पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—75 प्रतिशत. सीधी भर्तीं—25 प्रतिशत.	उपर्युक्त के अनुसार.	मैट्रिक उत्तीर्ण विभागीय उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—50 प्रतिशत. सीधी भर्तीं—50 प्रतिशत.	सहायक मिस्त्री की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे परन्तु शर्त यह है कि उसे सहायक मिस्त्री के पद पर 8 वर्ष का व्यावहारिक अनभव हो
(4)	25 ਕਥੰ	25 वर्ष	25 वर्ष	35 वर्ष
(3)	20 वर्ष	20 वर्ष	18 वर्ष	25 वर्ष
(2)	कनिष्ठ वाचक रु. 120-4-140-5-160	पुनरीक्ष्क रु. 120-4-140-5-160	कापी होल्डर रु. 90-3-120-द्.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140	मिस्त्री रु. 160-6-190-10-240
(1)	7.	∞ <b>ਂ</b>	6	10.

(7)			
(9)	अनुभव हो. मिस्त्रीगिरी के साथ किसी कर्मशाला में मिस्त्री के पद पर दस वर्ष का अनुभव प्राप्त होना और सभी प्रकार की मुद्रण मशीनों के संबंध में ज्ञान हो.	(एक) उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्ष या उसके समकक्ष परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) मोनो टाइप निगम की यंत्र रचना का प्रमाण-पत्र होना चाहिए तथा कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए या किसी बड़े मुद्रणालय में मोनो टाइप मिस्त्री के पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.	(एक) हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान होना चाहिए.
(5)	पदोन्नति—50 प्रतिशत. सीधी भर्तीं—50 प्रतिशत.	जिन सहायक मोनो मिस्त्रियों को उस पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो उनकी पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. उसे मोनो टाइप यंत्र रचना, की-बोर्ड तथा कास्टिंग मशीनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए. यदि किसी सहायक मोनो मिस्त्री के पास मोनो टाइप निगम प्रशिक्ष्ण शाला का की-बोर्ड तथा कास्टिंग यंत्र रचना का प्रमाण-पत्र हो, तो उस स्थित में 3 वर्ष का अनुभव पर्याप्त होगा. पदोन्नित—50 प्रतिशत.	जिन मोनो कास्टर अटेन्डन्टों ने उस पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो, उनकी
(4)		35 वर्ष वर्ष	:
(3)		25 ਕਥੇ	:
(2)		मोनो मिस्त्री रु. 160-6-190-10-240	सहायक मोनो मिस्त्री रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140

12.

(7)			
(9)	(दो) कास्टिंग तथा रूटिंग कास्टिंग की जानकारी होनी चाहिए. (तीन) सांचे तथा टाइप के मेट्रोसेज बदलने, मीटर टाइप की गणना बाडी के अनुसार तथा सेट के अनुसार करने, मोनो धातु के पंक्ति बंधन तथा उष्णतामापन का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए. (चार) सहायक मोनो मिस्त्री के पद पर कम से कम 5 वर्षों का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए.	(एक) हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए. (दो) इण्टर टाइप या लाइनो टाइप मशीनों को लगा सके तथा हटा सकें. (तीन) सहायक लाइनो मिस्त्री के पद पर कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.	परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. दोत्र रचना या लाइने टाइप मशीन संबंधी प्रमाण-पत्र होना चाहिए और कम से कम 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव
(5)	पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाना (६) (दो) (तीन) में निर्दिष्ट योग्यताएं रखते हों. पदोन्नित— 100 प्रतिशत.	जो लाइनो बारमेन उस पद पर 3 वर्ष सेवा में रह चुके हों, उनकी पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाना (6) (दो) में उल्लिखित अहंताएं रखते हों. पदोन्नित—100 प्रतिशत.	जिन सहायक लाइनो मिस्त्रियों को कम से कम 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव हो, उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. उन्हें इण्टर टाइप तथा लाइनो टाइप की यंत्र रचना की पूर्ण
(4)		:	35 वर्ष
(3)		:	25 वर्ष
(2)		सहायक लाइनो मिस्त्री रु. 90-3-120-द्.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140	लाइनो टाइप मिस्त्री रु. 160-6-190-10-240
(1)		13.	4.

(7)			
(9)	होना चाहिए या किसी बड़े मुद्रणालय में लाइनो टाइप मिस्त्री के पद पर 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.	(एक) आठवीं कक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) मुद्रण मशीनों को लगाने तथा खोलने का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए. (तीन) सहायक मिस्त्री के पद पर 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) मशीन लगाने तथा खोलने का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, (दो) बिजली की मोटर तथा सभी मशीनों के विद्युत् समंजन में पत्रोपाधि प्राप्त हो तथा आमेंचर और क्वाइल बाइंडिंग का ज्ञान होना चाहिए,
(5)	जानकारी होनी चाहिए तथा उसे ऐसी मशीनें लगाना तथा हटाना आना चाहिए, यदि सहायक लाइनो मिस्त्री खाना (6) (दो) में उल्लिखित अहंताएं रखता हो तो 3 वर्षों का अनुभव पर्याप्त होगा. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	जिन कनिष्ठ मशीन मैनों ने 5 वर्ष की सेवा की हो उनकी पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. उसे सभी मुद्रण मशीनों को लगाना तथा खोलना आना चाहिए. पदोन्नित—100 प्रतिशत.	सहायक मिस्त्री या सहायक बिजली मिस्त्री की पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. बशते कि वे खाना (6) में दी गई अर्हताएं रखते हों. पदोन्नि—50 प्रतिशत. सीधी भर्ती—50 प्रतिशत.
(4)		:	30 वर्ष वर्ष
(3)		:	22 ਕਥੇ
(2)		सहायक मिस्त्री र. 90-3-120-द्.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140	मिस्त्री एवं बिजली मिस्त्री रु. 120-120-4-140-5-160-द.रो 6-190
(1)		15.	16.

(2) (9)	(एक) किसी भी मान्य संस्था की विद्युत् इंजीनियरी में पत्रोपाधि प्राप्त होना चाहिए. (दो) सभी मशीनों के बिजली मोटरों तथा बिजली उपकरणों का रख-रखाव कर सके तथा आमेंचर और क्वाइल बाइंडिंग की जानकारी हो. (तीन) ए.सी. ट्रान्समीटर वाला बिजली घर संभालने योग्य होना चाहिए. (चार) बिजली मिस्त्री के पद पर 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) आठवों कक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) बिजली की मोटरें, मशीनों के रख- रखाव तथा सभी मशीनों के बिजली संबंधी समंजन के योग्य होना चाहिए तथा आमेंचर और क्वाइल बाइंडिंग की जानकारी होना चाहिए. (तीन) कम से कम 3 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) मैट्रिक परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) अंग्रेजी में प्रति घंटा कम से कम 5.000 संशोधित एन्स करने तथा हिन्दी
		(एक (दो) (तीन	
(5)	सहायक बिजली मिस्त्रियों को इस कार्य में 10 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव हो, उनकी पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नित—50 प्रतिशत. सीधी भर्ती—50 प्रतिशत.	जो विभागीय उम्मीदवार जो बिजली के वायर मैन के कार्य की अर्हताएं रखते हों तथा विद्युत् स्थापना का 2 वर्षों की अवधि तक सम्हालने का उचित अनुभव रखते हों, उनकी पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नित—50 प्रतिशत.	जो विभागीय उम्मीदवार जो खाना (6) (एक) (दो) में दो गई योग्यताएं पूरी करते हों, उनकी
(4)	30 वर्ष	25 वर्ष वर्ष	28 वर्ष
(3)	22 वर्ष	20 ਕਥੇ	20 वर्ष
(2)	बिजली मिस्त्री रु. 120-120-4-140-5-160-द्.रो 6-190	सहायक बिजली मिस्त्री रु. 100-4-140	मोनो चालक रु. 160-6-190-10-240
(1)	17.	<u>&amp;</u>	19.

(7)			
(9)	एन्स करने की गति हो. (तीन) चालक के रूप में कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए. (चार) मशीन की यंत्र रचना जानने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी.	(एक) मैट्रिक परीक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) अंग्रेजी में प्रति घंटा कम से कम 5,000 संशोधित एन्स करने तथा हिन्दी में प्रति घंटा कम से कम 4,500 संशोधित एन्स करने की गति होनी चाहिए. (तीन) चालक के काम का कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए. (चार) मशीन की यंत्र रचना जानने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी.	(एक) कुछ हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए. (दो) कास्टिंग का ज्ञान, जिसमें रूट्रीन समंजन भी शामिल है, होना चाहिए. सांचे तथा मेट्रिसेज बदलने का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए.
(5)	पदोन्नति—25 प्रतिशत. सीधी भर्तीं—75 प्रतिशत.	जो विभागीय उम्मीदवार खाना (6) (एक) (दो) में दी गई अहंताएं पूरी करते हों, उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—25 प्रतिशत. सीधी भर्ती—75 प्रतिशत.	शिक्ष्ति निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाना (६) (एक) (दो) में उल्लिखित अर्हताएं रखते हों. पदोन्नति—50 प्रतिशत.
(4)		28 वर्ष	25 वर्ष
(3)		20 वर्ष	18 व व
(2)		लाइनो चालक रु. 160-6-190-10-240	कास्टर अटेन्डेन्ट रु. 70-1-75-2-95
(1)		20.	21.

(7)				
(9)	(तीन) कम से कम 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए,	(एक) आठवीं कक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रति घंटा 1,000 संशोधित एन्स कम्मोजिंग करने की क्ष्मता होनी चाहिए. (तीन) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में कम्मोजीटर के रूप में 5 वर्षों का व्यावहारिक हान होना चाहिए.	(एक) आठवीं कक्ष तक पढ़ा हो. (दो) अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रति घंटा 750 संशोधित एन्स कम्पोज करने की क्ष्मता होनी चाहिए. (तीन) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में कम्पोजीटर का कम से कम 3 वर्षों का	(एक) चौथी कक्ष तक पढ़ा हो. (दो) अंग्रेजी और हिन्दी दोनों प्रकार के टाइपों के वितरण का ज्ञान हो. विभिन्न आकार के टाइपों के वितरण का ज्ञान होना चाहिए. (तीन) कम से कम 2 वर्ष तक वितरक का कार्य किया हो.
(5)	सीधी भर्तां—50 प्रतिशत.	जूनियर कम्पोजीटर की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	वितरकों तथा अन्य शिक्ष्ति निम्म श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाना (6) (दो) में उल्लिखित अहंताएं रखते हों. पदोन्नति—75 प्रतिशत.	शिक्ष्ति सहायकों और मददगारों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाने (६) (दो) में उल्लिखित अहंताएं रखते हों. पदोन्नति—75 प्रतिशत. सीधी भर्तीं—25 प्रतिशत.
(4)		:	25 ਕਥੰ	25 ਕਥੰ
(3)		:	18 এক বর্	1৪ এন বর্
(2)		सीनियर कम्पोजीटर रु. 90-3-120-द्.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140	जूनियर कम्मोजीटर रु. 70-1-75-2-95	वितरक र. 65-1-75-2-95
(1)		22.	23.	24.

 	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)
साानयर इम्पाजाटर रु. 90-3-120-द्रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140		· ·	÷	जूनवर इम्पाजाटरा का पदान्तात द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति— 100 प्रतिशत.	(एक) हिन्दा आर अग्रजा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) यह ज्ञान होना चाहिए कि 32 फुट्ठ के फार्मों तक चौड़े लम्बे और आयताकार विन्ग्रासों का विन्यास कैसे किया जाता है और हाशिये को जमाने और जिटल जाबों को व्यवस्थित करने की क्ष्मता होनी चाहिए. (तीन) कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	
जूनियर इम्पोजीटर रु. 70-1-75-2-95		18 वर्ष	25 ਕਥੇ	शिक्ष्ति सहायकों और मददगारों की पदोन्नित द्वारा भेरे जाएंगे. बशतें कि खाने (6) (दो) में उल्लिखित अहंताएं रखते हों. पदोन्निति—75 प्रतिशत. सीधी भर्तों—25 प्रतिशत.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि 16 पृष्ठ के फामों का किस तरह विन्यास किया जाता है और जाबों में उचित हाशिया रखने की क्ष्मता होनी चाहिए. (तीन) 2 वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए.	
सीनियर मशीन मैन रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140		:	÷	जूनियर मशीन मैनों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाने (6) (दो) और (तीन) में उल्लिखित अहंताएं रखते हों.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) स्वचालित फीडर सहित मुद्रण मशीन का स्वतंत्रतापूर्वक संचालन करने योग्य होना चाहिए.	

(7)	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	न म ०० सर्वे न	다 나
(9)	(तीन) तिरंगे ब्लाक मुद्रण का ज्ञान होना चाहिए और हाथ की मशीन पर एक पाली में प्रतिदिन औसतन कम से कम 8,000 छापे देने योग्य ज्ञान होना चाहिए. (चार) कम से कम 5 वर्ष का मशीन मैन व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) स्वचालित मुद्रण मशीन को स्वतंत्र रूप से चलाने योग्य होना चाहिए. (तीन) ब्लाक मुद्रण का ज्ञान होना चाहिए और एक पाली में हाथ की मशीन पर प्रतिदिन औसतन कम से कम 7,000 छापे देने योग्य होना चाहिए. (चार) मशीन मैन के पद पर कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) स्वतंत्र रूप से रोटरी मशीन चलाने योग्य होनी चाहिए और तत्संबंधी
(5)	पदोन्नित— १०० प्रतिशत.	स्याही वाले और अन्य निम्न कर्मचारियों की पदोन्तित द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाने (6) (दो) और (तीन) में उल्लिखित अहंताएं रखते हों. पदोन्ति—75 प्रतिशत. सीधी भर्ती—25 प्रतिशत.	सहायक रोटरी मशीन मैन की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—100 प्रतिशत.
(4)		25 वर्ष	:
(3)		18 व ब	:
(2)		जूनियर मशीन मैन रु. 70-1-75-2-95	रोटरी मशीन मैन रु. 120–120-4-140-5-160-द्.रो 6-190
(1)		28.	29.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)
					(तीन) रोटरी मशीन की यंत्र रचना का और उसके समंजन का ज्ञान होना चाहिए. (चार) रोटरी मशीन मैन के काम का कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए.	
30.	सहायक रोटरी मशीन मैन रु. 90-3-120-द्.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140	:	:	किनष्ठ मशीन मैन और रोटरी कास्टर द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि उसे रोटरी मशीन का ज्ञान हो और वह खाने (6) की शतें (एक) और (दो) को पूरा करता हो. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) रोटरी मशीन को स्वतंत्र रूप से चलाने योग्य होना चाहिए तथा तत्संबंधी ज्ञान होना चाहिए. (तीन) रोटरी मशीन का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	
<del>.</del> .	रोटरी कास्टर रु. 70-1-75-2-95	:	:	निम्न कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाने (६) में उल्लिखित अहंताएं रखते हों. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	(एक) मुद्रण सामग्रियों का ज्ञान होना चाहिए और चपटे और मुड़े हुए स्टिरिओं को हालने की जानकारी होनी चाहिए. (दो) कम से कम 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	
32.	रूटर र. 70-1-75-2-95	:	:	निम्न कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाने (6) में डिल्लिखित अर्हताएं रखते हों. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	रूटिंग मशीन पर कार्य करने योग्य होना चाहिए.	

(7)			
(9)	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) लिथो मशीन चलाने योग्य होना चाहिए. (तीन) एक पाली में प्रतिदिन कम से कम 6,000 छापे देने योग्य होना चाहिए. (चार) लिथो मशीन मैन के पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) लिथो मशीन को स्वतंत्र रूप से चलाने योग्य होना चाहिए. (तीन) एक पाली में प्रतिदिन कम से कम 5,000 छापे देने योग्य होना चाहिए. (चार) लिथो मशीन मैन के पद पर कम से कम 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक)मैट्रिक पास होना चाहिए, (दो) सब प्रकार के कैमरों, डार्क रूम प्रोसेस कैमरा सहित के रख-रखाव और चालन करने योग्य होना चाहिए, (तीन) गीली और सूखी प्लेटों को एक्सपोज
(5)	लिथो मशीन मैन (जूनियर) की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	लिथो मशीन सहायक और अन्य निम्न कर्मचारियों की पदोन्ति द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाने (६) (दो) में डिल्लिखित अर्हताएं रखते हों. पदोन्निति—75 प्रतिशत. सीधी भरती—25 प्रतिशत.	उस विभागीय उम्मीदवार के चयन और पदोन्नित द्वारा भरा जाएगा जो खाने (6) (एक) से (तीन) में उल्लिखित अर्हताओं को पूरा करें. पदोन्निति—100 प्रतिशत.
(4)	:	25 ਕਥੇ	:
(3)	:	18 वर्ष	:
(2)	सीनियर (लिथो) मशीन मैन रु. 90-3-120-द्.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140	जूनियर (लिथो) मशीन मैन रु. 70-1-75-2-95	कैमरा मैन रु. 140-5-160-6-190-द्.रो6-220
(1)	33.	34.	35.

(7)				
(9)	करने और डेवलप करने का पूर्ण व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए और कलाकार की मूल कलाकृतियों से रंग अलग करने योग्य होना चाहिए. प्रकाशिका और पारदर्शिता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए. (चार) इस धन्धे का कम से कम 8 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) मैट्रिक परीश्व पास होना चाहिए. (दो) किसी मान्यता प्राप्त कला संस्था से ड्राइंग में उपाधि प्राप्त होना चाहिए.	(एक) मैट्रिक परीक्ष पास होना चाहिए. (दो) किसी भी मान्यता प्राप्त कला संस्था से ड्राइंग में उपाधि प्राप्त होना चाहिए.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए. (दो) ईचिंग मशीन के रख-रखाव और उसे चलाने योग्य होना चाहिए. (तीन) ईचिंग में उपयोग किये जाने वाले रासायनिक पदार्थों से पूर्णतया परिचित होना चाहिए.
(5)		ट्रेसरों की पदोन्नति और चयन द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—50 प्रतिशत. सीधी भर्तीं—50 प्रतिशत.	सीधी भरती से भरे जाएंगे. सीधी भर्ती—100 प्रतिशत.	डस विभागीय डम्मीदवार की पदोन्नित द्वारा भरा जाएगा जो खाना (६) (दो) और (तीन) में दी गई अर्हताएं रखता हो. पदोन्नित—100 प्रतिशत.
(4)		28 वर्ष वर्ष		:
(3)		20 ਕਥੇ	÷	:
(2)		मानचित्रकार (ड्राफ्ट्स मैन) रु. 130-5-160-6-190	अनुरेखक (ट्रेसर) रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> ⁄ <sub>2</sub> -140	ईचर रु. 90-3-120-द.रो2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
(1)		36.	37.	38.

(7)			
(9)	(चार) ईचरके रूप में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए. (दो) मुद्रण कार्यों का सही ढंग से करने योग्य होना चाहिए और मुद्रण में और प्लेटों के निश्चरण में उपयोग में लाए जाने वाल सभी रासायनिक घोलों और विभिन्न मशीनों से परिचित होना चाहिए. (तीन) एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का काम करने योग्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) रोटा प्रिंट मशीन को स्वतंत्र रूप से चलाने योग्य होना चाहिए तथा एक पाली में 10,000 छापे देने का औसत होना चाहिए. (तीन) रोटा प्रिंट मशीन के विभिन्न भागों के कलपुजौ तथा उनके समंजन का ज्ञान होना चाहिए. (चार) कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.
(5)		रु. 55-1-65 के वेतनमान में कार्य करने वाले सहायकों, मददगारों और अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा. बशतें कि वे खाने (6) (दो) में उल्लिखित अर्हताएं पूरी करते हों. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	जूनियर मशीन मैनों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा. बशतें कि वे खाने (6) (दो), (तीन) में दी गई अहंताएं पूरी करते हों. पदोन्नति—100 प्रतिशत.
(4)		·	:
(3)		÷	:
(2)		थातु मुद्रक (मेटल प्रिंटर) रु. 70–1–75–2–95	रोटा प्रिंट आपरेटर रु. 90-3-120-2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140
(1)		39.	0,

(7)			
(9)	(एक) प्रथम श्रेणी का जिल्दसाज होना चाहिए और जिल्दसाजी संबंधी सभी कार्यों और जिल्दसाजी और गिल्डिंग के तरीकों का पूर्ण व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, उचित आकार और हाशिए संबंधी जानकारी भी आवश्यक हैं. (दो) जिल्दसाजी का कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए,	(एक) सभी जिल्दसाजी कायों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए. (दो) कागज के आकारों का ज्ञान भी होना चाहिए.	(एक) हिन्दी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. (दो) टाइप के भाग और फेसेज से परिचित होना चाहिए. (तीन) टाइप कास्टिंग मशीन चला सकने योग्य होना चाहिए.
(5)	कनिष्ठ जिल्दसाजों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे. पदोन्नति—100 प्रतिशत.	सहायकों, मददगारों तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. बशतें कि वे खाने (६) (एक) तथा (दो) में डिल्लिखित अहंताएं रखते हों. पदोन्निति—75 प्रतिशत. सीधी भर्तों—25 प्रतिशत.	र. 55-1-65 वाले वेतनमान के सहायकों तथा अन्य निम्न कर्मचारियों की पदोन्नित द्वारा भरे जाएंगे. बशतें वे खाने (6)में उल्लिखित अहंताएं पूरी करते हों.
(4)	:	25 वर्ष	25 वर्ष
(3)	:	18 व व	18 বার্ষ
(2)	वरिष्ठ जिल्दसाज रु. 90-3-120-2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -140	कनिष्ठ जिल्द्साज रु. 70-1-75-2-95	ढलाई-थर सहायक र. 70-1-75-2-95
(1)	1.		43.

(7)			
(9)	(चार)) कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.	ब्लाक माउंटिंग के अनुभव वाला कुशल बढ़ई होना चाहिए.	I
(5)	पदोन्नति—75 प्रतिशत. सीधो भर्तों—25 प्रतिशत.	चयन कर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे. सीधी भर्तीं—100 प्रतिशत.	वही अहंताएं जो कि अन्य विभागों में शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं. सीधी भर्तों—100 प्रतिशत.
(4)			35 वर्ष वर्ष
(3)		:	22 ਕਥੰ
(2)		बढ़ई रु. 70-1-75-2-95	ड्राइवर रु. 85-2 <sup>1</sup> ⁄, -90-3-120
(1)		<del>4</del>	45.

# अनुसूची-चार

# (नियम 14 देखिए)

# विभाग का नाम—शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

क्रमांव	ь      उस पद का नाम	उस पद का नाम		विभागीय पदोन्नति
	जिस पद से पदोन्नति	जिस पद पर पदोन्नति		समिति के सदस्यों
	की जानी है	की जानी है		के नाम
(1)	(2)	(3)		(4)
	श्रेणी र्त	न—अलिपिक वर्गीय		
1.	वरिष्ठ वाचक	मुख्य परी <b>क्ष्</b> क		पदों के लिये—
	-AC	ओवरसियर	(1)	अधीक्ष्क, शासकीय
2.	सीनियर सेक्शन होल्डर सेक्शन होल्डर, मोनो	आवरासयर	(2)	मुद्रण. अधीक्क, लेखन सामग्री
	चालक एवं लाइनो		(2)	तथा पाठ्य पुस्तक.
	चालक.		(3)	उप-अधीक्कों में से
			(5)	वरिष्ठतम उप-अधीक्क.
3.	मोनो चालक, लाइनो चालक	सीनियर सेक्शन होल्डर		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.	सहायक सेक्शन होल्डर विरष्ठ वाचक [बशर्ते कि उसके पास अनुसूची-तीन के क्रमांक 4 के सामने खाना (6) में दी गई अर्हताएं हों].	सेक्शन होल्डर		
5.	रु. 90-140 के वेतनमान में के या उससे ऊपर के कर्मचारी.	सहायक सेक्शन होल्डर		
6.	कनिष्ठ वाचक	अनुभाग वाचक (सेक्शन रीडर)		
7.	कॉपी होल्डर	कनिष्ठ वाचक		
8.	कॉपी होल्डर	पुनरीक्ष्क		
9.	मुद्रणालय की किसी भी शाखा के मैट्रिक पास विभागीय कर्मचारी.	कॉपी होल्डर		
10.	सहायक मिस्त्री	मिस्त्री (मेकेनिक)		

मोनो मिस्त्री

11. सहायक मोनो मिस्त्री

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	मोनो कास्टर अटेन्डेन्ट	सहायक मोनो मिस्त्री	
13.	लाइनों बारमेन	सहायक लाइनो मिस्त्री	
14.	सहायक लाइनो मिस्त्री	लाइनो टाइप मिस्त्री	
15.	जूनियर मशीन मैन	सहायक मिस्त्री	
16.	सहायक मिस्त्री एवं सहायक बिजली मिस्त्री.	मिस्त्री एवं बिजली मिस्त्री.	
17.	सहायक बिजली मिस्त्री	बिजली मिस्त्री	
18.	बिजली वायरमैन के कार्य में अर्हता प्राप्त विभागीय कर्मचारी.	सहायक बिजली मिस्त्री	
19.	अनुसूची-तीन के क्रमांक 19 के सामने खाना (6) (एक) और (दो) में दी गई अर्हताएं रखने वाले विभागीय उम्मीदवार.	मोनो चालक	
20.	अनुसूची-तीन के क्रमांक 20 के सामने खाना (6) (एक) और (दो) में दी गई अर्हताएं रखने वाले विभागीय उम्मीदवार.	लाइनो चालक	
21.	अनुसूची-तीन के क्रमांक 21 के सामने खाना (6) (एक) और (दो) में दी गई अर्हताएं रखने वाले शिक्ष्ति निम्नवर्गीय कर्मचारी.	ढलाई सहायक	
22.	जूनियर कम्पोजीटर	सीनियर कम्पोजीटर	
23.	डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य शिक्ष्ति निम्न श्रेणी कर्मचारी.	जूनियर कम्पोजीटर	
24.	शिक्ष्ति सहायक और मददगार	डिस्ट्रीब्यूटर	
25.	जूनियर इम्पोजीटर	सीनियर इम्पोजीटर	
26.	शिक्ष्ति सहायक और मददगार	जूनियर इम्पोजीटर	
27.	जूनियर मशीन मैन	सीनियर मशीन मैन	

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	स्याही वाले और अन्य निम्न श्रेणी कर्मचारी.	जूनियर मशीन मैन	
29.	सहायक रोटरी मशीन मैन	रोटरी मशीन मैन	
30.	जूनियर मशीन मैन और रोटरी ढलाईकार.	सहायक रोटरी मशीन मैन	
31.	निम्न श्रेणी कर्मचारी	रोटरी ढलाईकार	
32.	निम्न श्रेणी कर्मचारी	रूटर	
33.	लिथो मशीन मैन (कनिष्ठ)	वरिष्ठ लिथो मशीन मैन	
34.	लिथो मशीन सहायक और अन्य निम्न श्रेणी कर्मचारी.	जूनियर लिथो मशीन मैन	
35.	अनुसूची-तीन के क्रमांक 35 के सामने खाना (6) (एक), (दो) (तीन) में उल्लिखित अर्हताएं रखने वाले विभागीय उम्मीदवार.	कैमरा मैन	
36.	अनुरेखक (ट्रेसर) अनुसूची-तीन के क्रमांक 36 के सामने खाना (6) में (दो) और (तीन) में दी गई अर्हताएं रखने वाले विभागीय उम्मीदवार.	मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) ईचर.	
37.	रु. 55–65 वेतनमान में कार्य कर रहे सहायक, मददगार तथा अन्य कर्मचारी.	धातु मुद्रक (मेटल प्रिंटर)	
38.	जूनियर मशीन मैन	रोटा प्रिंट चालक	
39.	कनिष्ठ जिल्दसाज	वरिष्ठ जिल्दसाज	
40.	सहायक, मददगार और अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.	कनिष्ठ जिल्दसाज	
41.	सहायक और अन्य निम्न श्रेणी कर्मचारी.	ढलाई घर सहायक	

# Bhopal, the 6th September 1966

## RULES FOR NON-GAZETTED SERVICES

No. 6164-6983-VII-Estt.-66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh [as in Column (2) Schedule II] Service, namely:—

2. **Short title and commencement.**—These rules may be called Madhya Pradesh Printing and Stationery (Non-Ministerial) Service recruitment Rules, 1965.

These rules shall come into force with effect from the date of their publication the "Madhya Pradesh Gazette".

- 3. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Head of the Department;
  - (b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
  - (c) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
  - (d) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
  - (e) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution;
  - (f) "Service" means the Madhya Pradesh Pringing and Stationery (Non-Ministerial) service;
  - (g) "State" means the State of Madhya Pradesh.
- 4. **Scope and Application.**—Without prejudice to the genrality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.
- 5. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following person, namely:—
  - (1) persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedules;
  - (2) persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
  - (3) persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

6. **Classification, Scale of pay etc.**— The classification of the Service, the Scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I hereto annexed:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either in permanent or temporary basis.

- 7. **Method of Recruitment**.—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, *viz.*:—
  - (a) by direct recruitment by Selection;
  - (b) by promotion of substantive members of the Service;
- (2) The number of persons recruited under clause (b) of sub-rule (i) shall not any time exceed the percentage shown in the Schedule II of the number of duty posts (as specified in Schedule I).
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Superintendent, Government Printing, in consultation with the Government.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i), if in the opinion of the Superintendent, Government Printing, the exigencies of the Service so require, the Superintendent, Government Printing may, after consulting the Government, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.
- 8. **Appointment to the Service.**—All appointments to the Service after the commencement of these rules shall be made by the Superintendent, Government Printing and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 7.
- 9. **Conditions of Eligibility of Direct Recruits**.—In order to be eligible to be selected, a condidate must satisfy the following conditions, *viz*. :—
  - (a) Age—(a) He must have attained the age shown in column (3) of Schedule III and not attained the age as shown in column (4) of Schedule III on the first day of January next following the date of commencement of the selection.
  - (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
  - (c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or

- have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—
- (i) Permanent Government servants should not be more than thirty years of age;
- (ii) Temporary Government servants should not be more than thirty five years of age.
- The above concession will also be admissible to work-charged staff and contingency paid staff and persons employed in Project Implementing Committees.
- (iii) A candidate who is a retrenched Government Servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
- **Explanation.**—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the Constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.
- (iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
- (v) The upper age limit will also be relaxable to 35 years in the case of bonafide displaced gold smiths, *i. e.*, those who are in possession of identification certificates in accordance with the Labour Department Memorandum No. 3345-4005-XVI, dated 6-5-63.
  - Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—
    - (1) Ex-servicemen released under mustering out concessions,
    - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short-term engagement. (b) fulfilling the conditions of enrolment,
    - (3) Ex-Personnel Madras Civil Unit,

- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers),
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,
  - (6) Ex-servicemen invalided out of service,
- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers, .
  - (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.
  - N. B.—Candidates who are admitted to the selection under the age concession mentioned in paragraph 9 (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenehed from the service or post after submitting the applications.

In no other case will these age limits be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

- (2) **Educational qualifications.** He must- possess the educational/technical qualifications prescribed for the service as shown in column (6) of Schedule III provided that.—
  - (a) in exceptional cases the Government may, on the recommendation of the Superintendent, Government Printing, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other institutions by a standard which in the opinion of the Government justifies the consideration of the candidate for selection; and
  - (b) candidates who are otherwise qualified I but have taken degrees from Foreign Universities, Being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for selection at the discretion of the Government.
  - (3) **Fees**.—He must pay the fees prescribed by the Government.
- 10. **Disqualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Superintendent, Government, Printing to disqualify him for selection.

- 11. Superintendent, Government Printing's decision about the eligibility of candidates final.—The decision of the Superintendent, Government Printing, as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall. be final and no candidate to whom a certificate of .admission has not been issued by the Superintendent, Government Printing, shall be admitted to the examination/shall be interviewed by the Superintendent, Government Printing.
- 12. **Direct Recruitment by Selection.**—(l) Selection for recruitment to the Service shall be held at such intervals as the Superintendent Government Printing may, from time to time, determine.
- (2) The selection of candidates for the Service shall be made by the Superintendent, Government Printing, after interviewing them. A practical test shall be conducted by the Superintendent, Government Printing, for the post in accordance with the minimum outtsturns required therefor.
- (3) 16 per cent and 20 per cent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.
- (4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 15 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes considered by the Superintendent, Government Printing, to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).
- (6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from amongst other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for the next selection:

Provided that if a sufficient number of suitable candidates is not available at the next selection to fill all the reserved vacancies. including the additional vacancies, the additional vacancies, or such of them as are not filled, shall lapse.

13. **List of Candidates selected.**—Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list

The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to . appointment unless the Superintendent, Government Printing. is satisfied. after such enquiry as may be considered necessary. that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

- 14. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.
  - (2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- 15. Conditions of eligibility for Promotion/Officiating.—The Committee shall consider the case of all persons who on the 1st day of January of that year, had completed the number of years of service as shown in column (5) of the Schedule III (whether temporary or substantive) in the post mentioned in column (2) of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government.
- 16. **Preparation of list of suitable officers.** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in Rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion/officiating to the Service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for one year.
- (2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.
- (3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the [as in column (2), Schedule IV] Service:

Provided that any junior person who, in the opinion of the Committee,. is of a exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of persons senior to him.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- . (5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the Service, the Committee, shall record its reasons for the proposed supersession.
- 17. A copy of the list prepared in accordance with Rule 16 shall be forwarded to the Government by the Superintendent, Government Printing, for information.
- 18. (1) The list as finally approved by the Committee shall form the select list for promotion of the members of the [as in column (2) of Schedule IV] Service to [as in column (3) of Schedule IV] Service.
- (2) The Select List shall ordinarily be in form until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 16:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Superintendent, Government Printing, and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

19. **Appointment to the Service from the Select List.**—(1) Appointment of the persons included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such Officers appear in the Select List:

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select List, or who is not next in order in the Select List, may be appointed to the Service if the Superintendent, Government Printing, is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Committee is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.
- 20. **Probation.**—Every person directly recruited to the Service shall be appointed on probation for a period of one year. The Superintendent, Government Printing, may for sufficient reason extend the period of probation by a further period not exceeding one year.
- 21. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.
- 22. **Relaxation.**—Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and Saving**.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, A. C. RAI, Dy. Secy.

### Schedule I

(Vide Rule 6)

S. N	1	No. of	Classification	Scale of pay
(1)	included in the service (2)	posts (3)	(4)	(5)
1	Head Examiner	2	Non Ministerial	Rs. 240—12—340
2	Overseer	14	-do-	Rs. 190—6—220—10—240— 240—EB—12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —315
3	Senior Section Holder	6	-do-	Rs. 160—6—190—10—240
4	Section Holder	19	-do-	Rs. 140—5—160—6—190— EB—6—220
5	Assistant Section Holder	26	-do-	Rs. 120—4—140—5—160
6	Senior Reader	21	-do-	Rs. 140—5—160—6—190— EB—6—220
7	Junior Reader	27	-do-	Rs. 120—4—140—5—160
8	Revisor	10	-do-	Rs. 120—4—140—5—160
9	Copy Holder	48	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2—140
10	Mechanic	2	-do-	Rs. 160—6—190—10—240
11	Mono Mechanic	2	-do-	Rs. 160—6—190—10—240
12	Assistant Mono Mechanic	2	-do-	Rs. 90—3—120—EB— $2^{1}/_{2}$ —140
13	Assistant Lino Mechanic	1	-do-	Rs. 90—3—120—EB— $2^{1}/_{2}$ —140
14	Lino Type Mechanic	1	-do-	Rs. 160—6—190—10—240
15	Assistant Mechanic	2	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140
16	Mechanic-cum-Electrician	2	-do-	Rs. 120—120—4—140—5— 160 —EB—6—190
17	Electrician	2	-do-	Rs. 120—120—4—140—5— 160 —EB—6—190
18	Assistant Electrician	2	-do-	Rs. 100—4—140
19	Mono Operator	31	-do-	Rs. 160—6—190—10—240
20	Lino Operator	16	-do-	Rs. 160—6—190—10—240
21	Caster Attendant	37	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
22	Compositor Sr.	65	Non Ministerial	Rs. 90—3—120—EB—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140

(1)	) (2)	(3)	(4)	(5)
23	Compositor Jr.	158	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
24	Distributor	44	-do-	Rs. 65—1—75—2—95
25	Impositor Sr.	5	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140
26	Impositor Jr.	8	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
27	Machineman Sr.	98	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140
28	Machineman Jr.	127	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
29	Rotary Machineman	1	-do-	Rs. 120—120—4—140—5— 160 —EB—6—190
30	Asstt. (Rotary) M/Man	1	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140
31	Rotary Caster	1	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
32	Router	1	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
33	Sr. Machineman (Litho)	1	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140
34	Jr. Machineman (Litho)	3	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
35	Cameraman	1	-do-	Rs. 140—5—160—6—190— EB—6—220
36	Draftsman	3	-do-	Rs. 130—5—160—6—190
37	Tracer	4	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2—140
38	Etcher	1	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2—140
39	Metal Printer	1	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
40	Rotaprint Operator	2	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140
41	Senior Binder	55	-do-	Rs. 90—3—120—EB—2—140
42	Junior Binder	108	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
43	Foundry Assistant	23	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
44	Carpenter	3	-do-	Rs. 70—1—75—2—95
45	Driver	4	-do-	Rs. 85—2—90—3—120

### **Schedule II**

(Vide Rule 7)

### NAME OF THE DEPARTMENT—GOVERNMENT PRINTING AND STATIONERY

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Percentage of the duty post to be			
			By direct recruitment (by selection)	By promotion of substantive members of the service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
CLASS III (NON-MINISTERIAL)—PRINTING AND STATIONERY						
1	Head Examiner	2		100 percent		
2	Overseer	14	50 percent	50 percent		
3	Senior Section Holder	6		100 percent		
4	Section Holder	19	25 percent	75 percent		
5	Assistant Section Holder	26	25 percent	75 percent		
6	Senior Reader	21		100 percent		
7	Junior Reader	27	25 percent	75 percent		
8	Revisor	10	25 percent	75 percent		
9	Copy Holder	48	50 percent	50 percent		
10	Mechanic	2	50 percent	50 percent		
11	Mono Mechanic	2	50 percent	50 percent		
12	Assistant Mono Mechani	c 2		100 percent		
13	Assistant Lino Mechanic	2 1		100 percent		
14	Lino Type Mechanic	1		100 percent		
15	Assistant Mechanic	2		100 percent		
16	Mechanic-cum-Electricia	n 2	50 percent	50 percent -		
17	Electrician	2	50 percent	50 percent		
18	Assistant Electrician	2	50 percent	50 percent		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Mono Operator	31	75 percent	25 percent
20	Lino Operator	16	75 percent	25 percent
21	Caster Attendant	37	50 percent	50 percenÍ
22	Compositor Senior	65		100 percent
23	Compositor Junior	158	25 percent	75 percent
24	Distributor	44	25 percent	75 percent
25	Impositor Senior	5		100 percent
26	Impositor Junior	8	25 percent	75 percent
27	Machineman Senior	98		100 percent
28	Machineman Junior	127	25 percent	75 percent
29	Rotary Machineman	1		100 percent
30	Asstt. Rotary Machineman	1		100 percent
31	Rotary Caster	1		100 percent
32	Router	1		100 percent
33	Senior Machineman Litho	1		100 percent
34	Junior Machineman Litho	o 3	25 percent	75 percent
35	Cameraman	1		100 percent
36	Draftsman	3	50 percent	50 percent
37	Tracer	4	100 percent	
38	Etcher	1		100 percent
39	Metal Printer	1		100 percent
40	Rotaprint Operator	2		100 percent
41	Senior Binder	55		100 percent
42	Junior Binder	108	25 percent	75 percent
43	Foundary Assistant	23	25 percent	75 percent
44	Carpenters	3	100 percent	
45	Drivers	4	100 percent	

### Schedule III

(Vide Rule 9)

# NAME OF THE DEPARTMENT — GOVERNMENT PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

## Class III-Non-Ministerial

Remarks		
Qualification	<ul> <li>(i) Must be a graduate.</li> <li>(ii) Must know copy fitting, editing manuscript, different type faces and sizes, prepare lay-out and should know the principles of display and imposition.</li> <li>(iii) Must have 8 years experience in proof reading</li> </ul>	(i) Must have passed Higher Secondary Examination.  (ii) Must be a licenciate from any Printing Institute together with 3 years practical experience in supervisory capacity in a big press or must have 6 years practical experience in supervisory capacity in a modern printing Press.  (iii) Must have knowledge of all the branches of a Printing Press viz.—hand composing, mechanical composing, printing and binding. Knowledge of Offset would be an additional qualification.
Method of recruitment	To be filled by promotion by selection of Senior Readers who have put in at least 5 years service in the Department but he should possess qualifications as laid down in column (6).  Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of Senior Section Holders/Section Holders/Lino and Mono Operators who have put in at least 5 years service in that capacity provided he fills qualifications mentioned in column (6) (ii). In case a Senior Section Holder is licenciate in Printing, two years experience would suffice. The promotion will be made on the basis of merit tempered by seniority.  Promotion—50 per cent.
Maximum age	:	30 years
Minimum age	:	22 years
S. No. Post with Pay Scale	1 Head Examiner Rs. $240 - 12^{l}/_{2} - 340$	2. Overseer Rs. 190—6—220—10— 240—EB—12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —315

6			
(9)		(i) Must have passed Higher Secondary Examination.  (ii) Must have passed Printing Technology Course in any Printing Institute together with 2 years experience in supervisory capacity in a press or must have 4 years experience in supervisory capacity in a big printing press.  (iii) Must have knowledge of all branches of printing press viz. Hand and Mechanical composing, Printing and Binding.	(i) Must have passed the Higher Secondary Examination or equivalent examination.  (ii) Must have passed Printing Technology Course in any Printing Institute or must have 3 years experience in supervisory capacity in a big Printing Press. Working knowledge of particular branch is essential.
(5)	To be filled by promotion of Mono/ Lino Operators who have at least put in 5 years service in that capacity. Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of Assistant Section Holders with at least 5 years experience in that capacity. In case an Assistant Section Holder possesses a certificate in printing technology, 2 years experience in that capacity will be sufficient. Senior Reader answering to the qualifications laid down in column. 6, can also be considered. Promotion—75 per cent.	The vacancies to be filled by promotion of the employees in or above the grade of Rs. 90—140—with at least 7 years experience of the section concerned and education upto 8th Standard.  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.
(4)	:	28 years	25 years
(3)	:	20 years	20 years
(1) (2)	3 Senior Section Holders Rs. 160—6—190—10—240	4 Section Holder 140-5-160-6-190- EB-6-220	5. Assistant Section Holder Rs. 120—4—140—5—160

()				
(9)	<ul> <li>(i) Must have passed Intermediate Examination.</li> <li>(ii) Must know Hindi also.</li> <li>(iii) Must be acquainted with copy fitting, type faces and book imposition.</li> <li>(iv) Must have an experience of at least 5 years as a proof Reader.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have passed the Higher Secondary Examination.</li> <li>(ii) Must be thoroughly acquainted with proof reading work and should be able to read proofs both in HIndi and English.</li> <li>(iii) Must be acquainted with type faces and size.</li> <li>(iv) Must have 3 years's experience as a proof Reader.</li> </ul>	Same as above.	Must have passed Higher Secondary Examination and know English and Hindi equally well.
(5)	To be filled by promotion of Junior Readers and Revisors. Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion.  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.	Same as above.	To be filled by selection of Departmental Matric candidates.  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.
(4)	:	25 years	25 years	25 years
(3)	:	20 years	20 years	18 years
(1) (2)	6 Senior Rader 140—5—160—6—190— EB—6—220	7 Junior Reader Rs. 120-4-140-5-160	8 Revisor Rs. 120-4-140-5-160	9 Copy Holder Rs. $90-3-120-EB-2^{1/2}-140$

(1) Mechanic  Rs. 160-6-190-10-240  Rs. 160-6-190-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	(7)		
25 years 35 years To be filled by promotion of Assistant Mechanic provided the has practical experience of 8 years as Assistant Mechanic.  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.  Direct—50 per cent.  Direct—50 per cent.  Mono Mechanic with at least 5 years as Assistant Mono Mechanic with at least 5 years experience in that capacity. He should be thoroughly conversant with the mechanism of Monotype Keyboard and Casting machines. In case an Assistant Mono Mechanic Possesses a certificate in Keyboard and Casting Mechanism from the Monotype Corporation Training School, 3 years experience in that capacity will be sufficient.  Promotion—50 per cent.	(9)		
25 years 35 years —10—240			
25 years -10-240 25 years -10-240	(5)	To be filled by promotion of Assistant Mechanic provided he has practical experience of 8 years as Assistant Mechanic.  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.	To be filled by promotion of Assistant Mono Mechanic with at least 5 years experience in that capacity. He should be thoroughly conversant with the mechanism of Monotype Keyboard and Casting machines. In case an Assistant Mono Mechanic Possesses a certificate in Keyboard and Casting Mechanism from the Monotype Corporation Training School, 3 years experience in that capacity will be sufficient.  Promotion—50 per cent.
-10-240 $-10-240$ $25$	(4)	35 years	35 years
(1) (2)  Mechanic  Rs. 160-6-190-10-240  1 Mono Mechanic  Rs. 160-6-190-10-240	(3)	25 years	
		0 Mechanic Rs. 160-6-190-10-240	Mono Mechanic Rs. 160—6—190—10—240

(£)			
(9)	<ul> <li>(i) Must know reading and writing of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must have knowledge of Casting and routine adjustments.</li> <li>(iii) Must have working knowledge of changing moulds and matrices, micrometer, calculations of type body-wise and set-wise, Alignment and the temperature of mono Metal.</li> <li>(iv) Must have practical experience as Assistant Mono Mechanic of at least 5 years.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must know reading and writing, Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to erect and dismantle Intertype or Linotype machines.</li> <li>(iii) Must have experience of at least 5 years as Assistant Lino Mechanic.</li> </ul>	(i) Must have passed High School Examination or its equivalent Examination.  (ii) Must possess a Certificate in Linotype Mechanism or Linotype machine from Linotype Corporation and must have practical experience of at least 5 years or should have 10 years experience as Linotype Mechanic in a big Press.
(5)	To be filled by promotion of Mono Caster Attendants who have put in at least 3 years service in that capacity subject to possessing the qualification mentioned in column (6) (ii), (iii).  Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of Lino Barman who have put in 3 years of service in that capacity subject to possessing the qualifications mentioned in column (6) (ii). Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of Assistant Lino Mechanic with at least 5 years practical experience. He should be thoroughly acquainted with the mechanism of Intertype and Linotype and should be able to dismantle and erect the machines. In case the Assistant Lino Mechanic possesses the qualifications mentioned in column (6) (ii), 3 years experience will be sufficient Promotion—100 per cent.
(4)	:	:	35 years
(3)	:	:	25 years
(1) (2)	12 Assistant Mono Mechanic Rs. $90-3-120-EB-2^{1}/_{2}-140$	13 Assistant Lino Mechanic Rs. $90-3-120-EB-2^{1}/_{2}-140$	14 Linotype Mechanic Rs. 160—6—190—10—240

6			
(9)	(ii) Must have passed VIII Standard.  (ii) Must have practical knowledge of dismantling of and erecting printing machines.  (iii) Must have 5 years practical experience as an Assistant Mechanic.	<ul> <li>(i) Must have practical experience of 5 years of erecting and dismantling machines.</li> <li>(ii) Must have diploma in Electrical Motors and Electrical adjustments of all machines with knowledge of Armature and Coil Winding.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must possess a diploma in Electrical Engineering from any recognised Institute.</li> <li>(ii) Must be able to maintain Electrical Motores and Electrical Equipments of all the machines with knowledge of Armature and Coil Winding.</li> <li>(iii) Must be able to maintain the power House with A. C. transmitter.</li> <li>(iv) Must have practical experience of at least 5 years as Electrician.</li> </ul>
(5)	To be filled by promotion of Junior Machineman who has put in 5 years service. He should be able to dismantle and erect all printing machines.  Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of Assistant Mechanic or Assistant electrician provided he answers the qualifications laid down in column (6).  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.	To be filled by promotion of Assistant Electricians who possess the practical experience of 10 years in the line.  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.
(4)	:	30 years	30 years
(3)	:	22 years	22 years
1) (2)	15 Assistant Mechanic Rs. 90—3—120—EB— 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140	Mechanic-cum-Electrician Rs.120—120—4—140— 5—160 —EB—6—190	Electrician Rs.120-120-4-140- 5-160 -EB-6-190
	15	16	71

(7)	standard. in Electrial tdjustments knowledge Vinding.	triculation sthan 5,000 in English per hour in erience of pperator. given to a chanism of	culation sthan 5,000 in English per hour in erience of
(9)	<ul> <li>(i) Must have passed VIII standard.</li> <li>(ii) Must be able to maintain Electrial Motors and Electrical adjustments of all the machinery with knowledge of Armature and Coil Winding.</li> <li>(iii) Must have practical experience of at least 3 years.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have passed Matriculation Examination.</li> <li>(ii) Possess a speed of not less than 5,000 corrected ens per hour in English and 4,500 corrected ens per hour in Hindi.</li> <li>(iii) Must have practical experience of at least 5 years as an Operator.</li> <li>(iv) Preference will be given to a candidate knowing mechanism of the machine.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have passed Matriculation Examination.</li> <li>(ii) Possessa speed of not less than 5,000 corrected ens per hour in English and 4,500 corrected ens per hour in Hindi.</li> <li>(iii) Must have practical experience of at least 5 years.</li> <li>(iv) Preference will be given to a</li> </ul>
(5)	To be filled by promotion of departmental candidates who have qualified in Electric Wiremanship and posses adequate experience of upkeep of electric installation for a period of 2 years.  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.	To be filled by promotion of departmental candidates who fulfil qualifications laid down in column (6) (i), (ii).  Promotion—25 per cent.  Direct—75 per cent.	To be filled by promotion of departmental candidates who fulfil qualifications laid down in column (6) (i), (ii).  Promotion—25 per cent.  Direct—75 per cent.
(4)	25 years	28 years	28 years
(3)	20 years	20 years	20 years
(2)	Assistant Electrician Rs. 100—4—140	Mono Operator Rs. 160—6—190—10—240	Lino Operator Rs. 160–6–190–10–240
(1)	18 As Rs	M Rs Rs	20 Li Rs

the machine.

6				
(9)	(i) Must know a little Hindi and English.  (ii) Must have knowledge of casting including routine adjustments. Must have working knowledge of changing moulds and matrices.  (iii) Must have a practical experience of at least 2 years.	<ul> <li>(i) Must have passed VIII Standard.</li> <li>(ii) Must be able to compose 1,000 corrected ens. per hour in English and Hindi.</li> <li>(iii) Must have practical experience of 5 years as a Compositor both in English and Hindi.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have studied upto VIII Standard.</li> <li>(ii) Must be able to compose 750 corrected ens. per hour in English and Hindi.</li> <li>(iii) Must have practical experience of 3 years as a Compositor both in English and Hindi.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have studies upto Class IV.</li> <li>(ii) Must know distribution of type both of English and Hindi. Must have knowledge of distributing various sizes of types.</li> <li>(iii) Must have worked as a Distributor for at least 2 years.</li> </ul>
(5)	To be filled by promotion of literate inferior staff subject to possessing the qualifications mentioned in column (6) (i), (ii).  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.	To be filled by promotion of Junior Compositors. Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of distributors and other literate inferiors subject to possessing the qualifications mentioned in column (6) (ii).  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.	To be filled by promotion of literate auxiliaries and helpers subject to possessing the qualifications mentioned in column (6) (ii).  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.
(4)	25 years	:	25 years	25 years
(3)	18 years	:	18 years	18 years
(1) (2)	21 Caster Attendant Rs. 70—1—75—2—95	22 Senior Compositor Rs. $90-3-120-EB-2^{1/2}-140$	23 Junior Compositor Rs. 70—1—75—2—95	24 Distributor Rs. 65–1–75–2–95

(7)				
(9)	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must know how to impose broad, long and oblong imposition upto 32 pages forms and should have capacity to set margin and range intricate jobs.</li> <li>(iii) Must have practical experience of at least 5 years.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must know how to impose 16 pages forms and must have the capacity to put proper margins in the jobs.</li> <li>(iii) Must have practical experience of 2 years</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to handle printing machine with automatic feeders independently.</li> <li>(iii) Must know tri-colour block printing make ready and to give an average of at least 8,000 impressions per day in one shift on handfed machine.</li> <li>(iv) Must have practical experience of machineman of at least 5 years.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to handle automatic printing machine independently.</li> </ul>
(5)	To be filled by promotion of Junior Impositors. Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of literate auxiliaries and helpers subject to possessing the qualifications mentioned in column (6) (ii).  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.	To be filled by promotion of Junior Machineman subject to possessing the qualifications mentioned in column (6) (ii) and (iii).  Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of inkers and other inferior staff subject to possessing the qualifications mentioned at (ii) & (iii) in column (6)  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.
(4)	:	25 years	:	25 years
(3)	;	18 years	:	18 years
(1) (2)	25 Senior Impositor Rs. $90-3-120-EB-2^{1/2}-140$	26 Junior Impositor Rs. 70—1—75—2—95	27 Senior Machineman Rs. $90-3-120-EB-2^{1/2}-140$	28 Junior Machineman Rs. 70—1—75—2—95

(7)	, make- t 7,000 and-fed nce as a years.	edge of Rotary , with man of stments. nce of at Rotary	edge of Rotary , with ence of	printing to cast year of
(9)	(iii) Must know block printing, makeready and give at least 7,000 impressions per day on hand-fed machine in one shift.  (iv) Must have practice experience as a machineman of at least 3 years.	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to handle Rotary machine independently with knowledge of make ready.</li> <li>(iii) Must know the machineman of Rotary Machine and its adjustments.</li> <li>(iv) Must have practical experience of at least 5 years as a Rotary Machineman.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to handle Rotary machine independently with knowledge of make ready.</li> <li>(iii) Must have practical experience of 3 years of Rotary Machine.</li> </ul>	<ul><li>(i) Must have knowledge of printing materials and must be able to cast flat and curved steros.</li><li>(ii) Must have at least one year of</li></ul>
(5)		To be filled by promotion of Assistant Rotary Machineman. Promotion—100 per cent.	To be filled by Junior Machineman and Rotary Caster provided he has working knowledge of the Rotary machine and subject to fulfilment of conditions (i) (ii) in column (6). Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of inferior staff subject to possesing the qualifications mentioned in column (6).
(4)		:	:	:
(3)		:	:	:
(2)		Rotary Machineman Rs.120—120—4—140— 5—160—EB—6—190	Assistant Rotary Machineman Rs. $90-3-120-EB-2^{1/2}-140$	Rotary Caster Rs. 70—1—75—2—95
(1)		29	30	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	6
32	32 Router Rs. 70–1–75–2–95	:	:	To be filled by promotion of the inferior staff subject to possessing the qualifications mentioned in column (6).  Promotion—100 per cent.	Must be able to work on routing machine.	
33	Senior (Litho) Machineman Rs. $90-3-120-EB-2^{1/2}-140$	:	:	To be filled by promotion of Litho Machineman (Junior).  Promotion—100 per cent.	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to handle Litho machine.</li> <li>(iii) Must be able to give at least 6,000 impressions per day in one shift.</li> <li>(iv) Must have at least 5 years experience as Litho machineman.</li> </ul>	
34	Junior (Litho) Machineman Rs. 70–1–75–2–95	18 years	25 years	To be filled by promotion of Litho Machine Assistants and other inferior staff subject to possesing the qualifications mentioned in column (6) (ii)  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.	(i) Must have working knowledge of Hindi and English.  (ii) Must be able to handle Litho machine independently.  (iii) Must be able to give at least 5,000 impressions per day in one shift.  (iv) Must have practical experience of at least 3 years as a Litho machineman.	
35	Cameraman Rs. 140—5—160—6— 190—EB—6—220			To be filled by selection and promotion of departmental candidate who fulfils the qualifications mentioned in column (6) (i) to (iii).  Promotion—100 per cent.	(i) Must be a Matriculate.  (ii) Must be able to maintain and work all kinds of Cameras including Dark-Room Process Camera.  (iii) Must have thorough practical experience of exposing and developing of wet and dry plates and should be able to carry out colour separation from artists originals.	

6					
(9)	Must have thorough knowledge of optics and transparancies.  (iv) Must have practical experience of at least 8 years in the line.	<ul><li>(i) Must have passed Matriculation Examination.</li><li>(ii) Must have obtained a diploma in drawing from a recognised Art Institution.</li></ul>	<ul><li>(i) Must have passed the Matriculation Examination.</li><li>(ii) Must have certificate in drawing from any recognised Art Institute.</li></ul>	<ul> <li>(i) Must have little knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to maintance and non etching machine.</li> <li>(iii) Must be fully acquained with the qualities of chemicals used in etching.</li> <li>(iv) Must have 3 years practical experience as an etching.</li> </ul>	<ul> <li>(i) Must know little Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to carry out correct printing down operations and should be acquainted with all the chemical solutions and various machines used in printing and etching the plates.</li> <li>(iii) Must have practical experience of one year.</li> </ul>
(5)		To be filled by promotion and selection of Tracers.  Promotion—50 per cent.  Direct—50 per cent.	To be filled by direct recruitment.  Direct— 100 per cent.	To be filled by promotion of departmental candidate who fulfils qualifications laid down in column (6) (ii) and (iii).  Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of auxiliaries and helpers and other staff in the grade of Rs. 55–1–65 provided they fulfil the qualifications mentioned in column (6) (ii).  Promotion–100 per cent.
(4)		28 years	:	:	ŧ
(3)		20 years	:	;	:
(2)		36 Draftsman Rs. 130—5—160—6—190	Tracers Rs. $90-3-120-EB-2^{1/2}-140$	8 Etcher Rs. 90—3—120—EB— 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —140	Metal Printer Rs. 70—1—75—2—95
(1)		36	37	38	39

(7)			
(9)	<ul> <li>(i) Must have working knowledge of Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be able to operate Rota Print Machine independently with an average outturn of 10,000 impressions per shift.</li> <li>(iii) Must be acquainted with mechanism and adjustments of various parts of Rota print machine.</li> <li>(iv) Must have at least 5 years practical experience.</li> </ul>	(i) Must be first class binder with thorough practical experience with all binding operations and styles of binding and gilding. Knowledge of paper sizes and margin also essential.  (ii) Must have practical experience as a binder of at least 5 years.	(i) Must have practical experience of all binding operations. (ii) Should also have knowledge of paper sizes.
(5)	To be filled by promotion of Jr.  Machineman provided they fullfill the qualifications provided in column (6) (ii), (iii).  Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of Junior Binders. Promotion—100 per cent.	To be filled by promotion of auxiliaries, helpers and other Class IV employees subject to possessing the qualifications mentioned in column (6) (i) and (ii).  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.
(4)	:	:	25 years
(3)	:	:	18 years
) (2)	40 Rota Print Operator Rs. $90-3-120-2^{1/2}-140$	Senior Binder Rs. $90-3-120-2^{1}/_{2}-140$	Junior Binder Rs. 70-1-75-2-95
(1)	40	14	54

6			
(9)	<ul> <li>(i) Must be conversant with Hindi and English.</li> <li>(ii) Must be acquainted with parts of types and faces.</li> <li>(iii) Must be able to run the type casting machine.</li> <li>(iv) Must have at least one year experience.</li> </ul>	Must be a skilled carpenter with experience of block mounting.	
(5)	To be filled by promotion of auxiliaries and other inferior staff in the grade of Rs. 55–1–65 provided they fulfill the qualifications mentioned in column (6).  Promotion—75 per cent.  Direct—25 per cent.	To be filled by direct recruitment by selection.  Direct—100 per cent.	Same as prescribed by Government in other departments.  Direct—100 per cent.
(4)	25 years	:	35 years
(3)	18 years	:	22 years
(1) (2)	43 Foundery Assistant Rs. 70—1—75—2—95	Carpenter Rs. 70—1—75—2—95	Driver Rs. $85 - 2^{1/2} - 90 - 3 - 120$
<u> </u>	43	<b>£</b> 4	4

### Schedule IV

(See Rule 14)

### NAME OF THE DEPARTMENT—GOVERNMENT PRINTING AND STATIONERY

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made (2)	Name of the post to which promotion is to be made (3)	Name of the members of the Departmental Promotion Committee (4)
	CLA	ASS III (NON-MINISTERIA	AL)
1	Senior Reader	Head Examiner	(1) Superintendment, Government Printing
2	Senior Section Holders Section Holders Lino Operators Mono Operators	Overseer	(2) Superintendent, Stationery and Text Books (3) One of the Seniormost Deputy Superintendents for all the posts.
3	Mono Operators Lino Operators	Senior Section Ho	lder
4	Assistant Section Holder Senior Reader (Provided he has qualification laid down in column (6) against S. No. 4 of Schedule III).	Section Holder	
5	Employees in or above the grade of Rs. 90—140.	Assistant Section I	Holder
6	Junior Reader Senior Reader		
7	Copy Holder	Junior Reader	
8	Copy Holder	Revisor	
9	Departmental matric candidate of any branch of the press.	tes Copy Holder	
10	Assistant Mechanic	Mechanic	
11	Assistant Mono Mechanic	Mono Mechanic	
12	Mono Caster Attendant	Assistant Mono M	<b>Mechanic</b>
13	Lino Barman	Assistant Lino Me	chanic
14	Assistant Lino Mechanic	Lino Type Mechar	nic
15	Junior Machineman	Assistant Mechani	c

(1	) (2)	(3)	(4)
16	Assistant Mechanic Assistant Electrician	Mechanic-cum-Electrician	
17	Assistant Electrician	Electrician	
18	Departmental employee qualified in electric wiremanship.	Assistant Electrician	
19	Departmental candidates possessing qualifications mentioned in column (6) (i) and (ii) against S. No. 19 of Schedule III.	Mono Operators.	
20	Departmental candidates possessing qualifications mentioned in column (6) (i) and (ii) against S. No. 20 of Schedule III.	Lino Operators	
21	Literate inferior staff possessing qualification mentioned in column (6) (i) and (ii) against S. No. 21 of Schedule III.	Caster Attendant	
22	Junior Compositor	Senior Compositor	
23	Distributors and other literate inferiors.	Junior Compositor	
24	Literate Auxiliaries and Helpers	Distributors.	
25	Junior Impositor	Senior Impositor	
26	Literate Auxiliaries and Helpers	Junior Impositors	
27	Junior Machineman	Senior Machineman	
28	Inkers and other inferior staff	Junior Machineman	
29	Assistant Rotary Machineman	Rotary Machineman	
30	Junior Machineman and Rotary Caster.	Assistant Rotary Machineman	
31	Inferior staff	Rotary Caster	
32	Inferior staff	Router	
33	Litho Machineman (Junior)	Senior Litho Machineman	
34	Litho Machine Assistant and other inferior staff.	Junior Litho Machineman	

(1)	(2)	(3)	(4)
35	Departmental candidates having qualifications mentioned in column (6), (i), (ii) & (iii) against S. No. 35 of Schedule III.	Cameraman.	
36	Tracers Departmental candidates having qualifications mentioned in column (6) (ii) & (iii) against S. No. 36 of Schedule III.	Draftsman Etcher	
37	Auxiliaries, Helpers and other staff in grade of Rs. 55—65.	Metal Printer	
38	Junior Machineman	Rota Print Operator	
39	Junior Binder	Senior Binder	
40	Auxiliaries, Helpers and other Class IV employee.	Junior Binder	
41	Auxiliaries and other inferior staff	Foundary Assistant	

[मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 1979 में भाग 4 (ग) में प्रकाशित]

भाग 4 (ग) अंतिम नियम राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 1979

क्र. 20-33-78-सात-शाखा-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाय, अर्थात् :—

अनुसूची चार (नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम-शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे	उस पद का नाम जिस	विभागीय पदोन्नति समिति
-	पदोन्नति की जानी है	पर पदोन्नति की जानी है.	के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

(तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) "क" (राज्य स्तरीय)

मुख्य परीक्ष्क वरिष्ठ वाचक (एक) वरिष्ठतम उप नियंत्रक — अध्यक्ष सीनियर सेक्शन होल्डर (दो) दो उप नियंत्रक जो 2 वरिष्ठतम् उप नियंत्रक के सेक्शन होल्डर पश्चात् ज्येष्ठता के ओवरसियर लाइनो चालक मोनो चालक क्रम में उससे ठीक नीचे हों-सदस्य. मोनो चालक सीनियर सेक्शन होल्डर 3 लाइनो चालक

सहायक सेक्शन होल्डर विरष्ठ वाचक (बशर्तें कि वह अनुसूची तीन के अनुक्रमांक 4 के सामने कालम (6) में अधिकाधिक अर्हताएं रखता हो).

सेक्शन होल्डर

(1) (2) (3) (4) वरिष्ठ वाचक सीनियर रीडर कनिष्ठ वाचक 5 सहायक मिस्त्री मिस्त्री (मेकेनिक) 6 सहायक मोनो मिस्त्री मोनो मिस्त्री 7 लाइनो टाइप मिस्त्री सहायक लाइनो मिस्त्री 8 विभागीय उम्मीदवार जो अनुसूची मोनो चालक तीन के अनुक्रमांक 19 के सामने कालम (6) (एक) तथा (दो) में वर्णित अईताएं रखते हों. विभागीय उम्मीदवार जो अनुसूची 10 लाइनो चालक तीन के अनुक्रमांक 20 के सामने कालम (6) (एक) तथा (दो) में वर्णित अर्हताएं रखते हों. विभागीय उम्मीदवार जो अनुसूची केमरामेन तीन के अनुक्रमांक 35 के सामने कालम (6) (एक), (दो) तथा (तीन) में वर्णित अर्हताएं रखते हों. ''<sub>ख''</sub> (इकाई स्तरीय) कर्मचारी जो रु. 90-140 के सहायक सेक्शन वरिष्ठतम उप नियंत्रक (एक) या उससे अधिक के वेतनमान होल्डर — अध्यक्ष में हो. (दो) संबंधित इकाइयों का प्रभारी उप नियंत्रक और जहां प्रभारी उप नियंत्रक वरिष्ठतम/उप नियंत्रक हो, वहां वरिष्ठतम उप नियंत्रक के पश्चात् ज्येष्ठता के क्रम में उससे ठीक नीचे वाला

> उप नियंत्रक इसका सदस्य होगा— सदस्य.

(तीन) संबंधित इकाई का वरिष्ठतम सहायक नियंत्रक—सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	कापी होल्डर	कनिष्ठ वाचक	
3	कापी होल्डर	पुनरीक्ष्क	
4	मुद्रणालय की किसी भी शाखा के मैट्रिक पास विभागीय उम्मीदवार.	कापी होल्डर	
5	मोनो कास्टर अटेन्डेन्ट	सहायक मोनो मिस्त्री	
6	लाइनो बार मेन	सहायक लाइनो मिस्त्री	
7	जूनियर मशीन मेन	सहायक मिस्त्री	
8	सहायक मिस्त्री, सहायक बिजली मिस्त्री	मिस्त्री व बिजली मिस्त्री	
9	सहायक बिजली मिस्त्री	बिजली मिस्त्री	
10	बिजली वायर मेन के कार्य में अर्हता प्राप्त विभागीय कर्मचारी.	सहायक बिजली मिस्त्री	
11	शिक्ति निम्न श्रेणी कर्मचारी जो अनुसूची तीन के अनुक्रमांक 21 के सामने कालम (6) (एक) तथा (दो) में वर्णित अर्हताएं रखते हों.	ढलाई सहायक	
12	जूनियर कम्पोजीटर	सीनियर कम्पोजीटर	
13	डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य शिक्ष्ति निम्न श्रेणी कर्मचारी.	जूनियर कम्पोजीटर	
14	शिक्ष्ति सहायक और मददगार (हेल्पर)	डिस्ट्रीब्यूटर	
15	जूनियर इम्पोजिटर	सीनियर इम्पोजिटर	
16	शिक्ष्ति सहायक और मददगार	जूनियर इम्पोजिटर	
17	जूनियर मशीन मैन	सीनियर मशीन मेन	

(1)	(2)	(3)	(4)
18	स्याही वाले तथा अन्य निम्न श्रेणी कर्मचारी.	जूनियर मशीन मेन	
19	सहायक रोटरी, मशीन मेन	रोटरी मशीन मेन	
20	जूनियर मशीन मेन और रोटरी ढलाई कार.	सहायक रोटरी मशीन मेन	
21	निम्न श्रेणी कर्मचारी	रोटरी ढलाई कार	
22	निम्न श्रेणी कर्मचारी	रुटर	
23	लिथो मशीन मेन (कनिष्ठ)	वरिष्ठ लिथो मशीन मेन	
24	लिथो मशीन सहायक और निम्न श्रेणी कर्मचारी.	जूनियर लिथे मशीन मेन	
25	अनुरेखक (ट्रेसर) विभागीय उम्मीदवार जो अनुसूची तीन के अनुक्रमांक 36 के कालम (6) (दो) तथा (तीन) में वर्णित अर्हताएं रखते हों.	मान चित्रकार (ड्राफ्टस मेन) ईचर.	
26	रु. 55-65 के वेतनमान में कार्य कर रहे सहायक, मददगार तथा अन्य कर्मचारी.	धातु मुद्रक (मेटल प्रिन्टर)	
27	जूनियर मशीन मेन	रोटा प्रिन्ट चालक	
28	कनिष्ठ जिल्दसाज	वरिष्ठ जिल्दसाज	
29	सहायक, मददगार तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.	कनिष्ठ जिल्दसाज	
30	सहायक तथा अन्य	ढलाई घर सहायक	

No. 20-33-78-VII-Section-V.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Printing and Stationery (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1965, namely:—

### **AMENDMENT**

In the said rules, for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:—

### SCHEDULE—IV (See rule 14)

### Name of the Department—Government Printing and Stationery

S. No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Name of the member of the Department Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)

### Class III (Non-ministerial) "A" (State Level)

(State Level)					
1	Senior Reader	Head Examiner	(i)	Senior-most Deputy Controller—Chairman.	
2	Senior Section Holders Section Holders Lino Operator Mono Operator	Overseer	(ii)	Two Deputy Controllers next in order of seniority after the senior—Members most Dy. Controller.	
3	Mono Operator Lino Operator	Senior Section Hold	ler		
4	Assistant Section holder Senior Reader (Provided he has qualifications laid down in column (6) against 5 No. 4 of Schedule III.	Section Holder			
5	Junior Reader	Senior Reader			
6	Assistant Mechanic	Mechanic			
7	Assistant Mono Mechanic	Mono Mechanic			
8	Assistant Lino Mechanic	Lino Type Mechani	ic		
9	Departmental Candidates possessing qualifications mentioned in column (6) (i) and (ii) against serial number 19 of Schedule III.	Mono Operators			

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Departmental Candidates possessing qualifications mentioned in column (6) (i) and (ii) against serial number 20 of Schedule III.	Lino Operators	
11	Departmental Candidates having qualifications mentioned in column (i), (ii), (iii) against serial number 35 of Schedule III.	Cameraman	
		"B"	
	J)	Jnit Level)	
1	Employeees in or above the grade Rs. 90—140.	Holder.	(i) Senior-most Deputy Controller—Chairman  ii) Deputy Controller incharge of the unit concern and where the unit is in charge of the senior most Deputy Controller then the Deputy Controller next in order of seniority after the Senior most Deputy Controller shall be its member.  ii) Senior-most Assistant Controller of the Unit concerned—Member.
2	Copy Holder	Junior Reader	
3	Copy Holder	Reviser	
4	Departmental Matric passed candidates of any branch of the press.	Copy Holder	
5	Mono Caster Attendant	Assistant Mono Mechanic	
6	Lino Barman	Assistant Lino Mechanic	
7	Junior Machineman	Asistant Mechanic	
8	Assistant Mechanic Assistant Electrician	Mechanic-cum-Electr	ician
9	Assistant Electrician	Electrician	
10	Departmental employee qualified in electric wiremanship.	Assistant Electrician	
11	Literate inferior staff possessing qualification mentioned in column (6) (i) and (ii) against serial number 21 of Schedule III.	Caster Attendant	

(1)	(2)	(3)	(4)
12	Junior Compositor	Senior Compositor	
13	Distributors and other literate Inferiors.	Junior Compositor	
14	Literate Auxilaries and Helpers	Distributors	
15	Junior Impositor	Senior Impositor	
16	Literate Auxilaries and Helpers	Junior Impositors	
17	Junior Mechineman	Senior Machineman	
18	Inkers and other Inferior staff	Junior Machineman	
19	Assistant Rotary Machineman	Rotary Machineman	
20	Junior Machineman and Rotary Caster.	Assistant Rotary Machineman	
21	Inferior staff	Rotary Caster	
22	Inferior staff	Router	
23	Litho Machineman (Junior)	Senior Litho Machineman	
24	Litho Machine Assistant and other Inferior staff.	Junior Litho Machineman	
25	Tracers Departmental Candidates having qualifications mentioned in Col. (6) (ii) and (iii) against S. No. 36 of Schedule III.	Draftsman Etcher	
26	Auxilaries, Helpers and other staff in grade of Rs. 55—65.	Metal Printer	
27	Junior Machienman	Rota Print Operator	
28	Junior Binder	Senior Binder	
29	Auxilaries, Helpers and other Class IV employees.	Junior Binder	
30	Auxilaries and other Inferior staff	Foundary Assistant	